बिहार सरकार,
<u>श्रम संसाधन विभाग</u>
<u>-:संकल्प:-</u>

श्री सुधांशु कुमार, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, भागलपुर सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त, भागलपुर के विरूद्ध श्रमायुक्त, बिहार के पत्रांक–493 दिनांक–10.02.2017 द्वारा द्वारा प्रपत्र 'क' गठित करते हुए यह आरोप प्रतिवेदित किया गया कि भागलपुर जिला में Bihar Shops and Establishment Act, 1953 के अंतर्गत ऑनलाईन निबंधन शुरू होने के पहले कुल 20124 निबंधित दुकानों/प्रतिष्ठानों के विरूद्ध दिनांक–16.01.2017 तक मात्र 1322 प्रतिष्ठानों के डाटा ऑनलाईन प्रविष्ट किये गये, जो कुल निबंधित दुकानों/प्रतिष्ठानों का मात्र 6.57% अर्थात 10% से कम है। यह कृत्य उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना, कर्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। श्रमायक्त, बिहार ने जिन जिलों में 10% से कम की प्रगति है केवल उनके विरूद्ध ही विभागीय कार्यवाही संस्थित करने की अनुशंसा की है। श्रमायुक्त, बिहार के उक्त पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक 517, दिनांक–03.03.2017 एवं अनुवर्ती पत्रों द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गई।

2. श्री सुधांशु कुमार का स्पष्टीकरण कार्यालय, उपश्रमायुक्त, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर के पत्रांक–516, दिनांक–05.07.2017 द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ। श्री सुधांशु कुमार ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि ऑनलाईन निबंधन शुरू होने के पूर्व भागलपुर जिला के लिए निबंधित दुकानों/प्रतिष्ठानों की कुल संख्या कार्यालय अभिलेखों की आधार पर 20,124 प्रतिवेदित की गई थी परन्तु वर्तमान में यह संख्या मात्र अंतिम निबंधन संख्या के रूप में ही प्रासंगिक है। विभागीय निदेश के आलोक में सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भागलपुर जिला में मात्र 7896 दुकान/प्रतिष्ठान संचालित पाये गये हैं, जिसमें से 1936 निबंधित एवं 5960 अनिबंधित है। दिनांक–16.01.2017 के पूर्व तक 1936 निबंधित दुकानों/प्रतिष्ठानों में से 1856 दुकानों/प्रतिष्ठानों का आंकड़ा उनके द्वारा प्रेषित किया गया।

3. श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोपों एवं उनके स्पष्टीकरण के आकड़ों में भिन्नता पाये जाने के पश्चात इस बिंदु पर श्रमायुक्त, बिहार के मंतव्य की मांग की गई। श्रमायुक्त, बिहार ने अपने मंतव्य में अंकित किया कि भागलपुर जिला में कुल निबंधित दुकानों/प्रतिष्ठानों की संख्या 20,124 है एवं इसके स्थान पर किसी नये आंकड़ों को प्रतिस्थापित करना श्री सुधांशु कुमार के द्वारा उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप को गलत साबित करने का प्रयास है। श्रमायुक्त द्वारा यह भी मंतव्य दिया गया है कि श्री कुमार ने प्रत्येक अवसर पर स्वीकार किया है कि भागलपुर जिला में कुल निबंधित दुकानों/प्रतिष्ठानों की संख्या 20124 है एवं इनमें से दिनांक–16.01.2017 तक 1170 निबंधित दुकानों/प्रतिष्ठानों का ही डाटा ऑनलाईन प्रविष्ट किया गया। श्रमायुक्त, बिहार के मंतव्य के आलोक में विभागीय पत्रांक–368 दिनांक–09.02.2018 द्वारा श्री सुधांशु कुमार से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–19 के अंतर्गत लघु दण्ड हेतु स्पष्टीकरण की मांग की गई।

4. श्री सुधांशु कुमार का स्पष्टीकरण कार्यालय, उपश्रमायुक्त, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर के पत्रांक–516, दिनांक–05.07.2017 द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ। श्री सुधांशु कुमार ने अपने स्पष्टीकरण में पुनः उल्लेख किया है कि संख्या 20,124 अभिलेखों के आधार पर विभाग को

प्रेषित अंतिम निबंधन संख्या है जबकि 7896 वर्तमान सर्वेक्षण से प्राप्त वास्तविक दुकानों/प्रतिष्ठानों की संख्या है। ये दोनों आंकड़े अपने–अपने प्रसंग में सही हैं। श्री सुधांशु कुमार ने भागलपुर में वर्तमान में संचालित 7896 दुकानों/प्रतिष्ठानों के समर्थन में भागलपुर के सभी अधिसूचित क्षेत्रों में पदस्थापित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त श्री कुमार ने यह भी उल्लेख किया कि श्रमायुक्त, बिहार द्वारा उनके विरूद्ध गठित आरोप में केवल निबंधित दुकानों/प्रतिष्ठानों के प्रेषित आंकड़ों को आधार बनाया गया है जबकि आदेश सभी निबंधित एवं अनिबंधित दुकानों/प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण करने का था। साथ ही श्री कुमार उल्लेख करते है कि उन्होंने Revised Online Entry Report (Shops & Establishment District Wise) के अनुसार दिनांक–16.01.2017 तक कुल 5543 दुकानों/प्रतिष्ठानों (निबंधित 1322+अनिबंधित 4221) की आंकड़े प्रेषित की है, जो अंतिम निबंधन संख्या 20,124 का लगभग 27.55 प्रतिशत तथा अंतिम सर्वेक्षण संख्या 7896 का लगभग 70.2 प्रतिशत है एवं सर्वेक्षण एवं डाटा प्रविष्टि के कार्य में पटना एवं वैशाली के बाद भागलपुर तीसरे स्थान पर है।

5. श्रमायुक्त, बिहार के मंतव्य के आलोक में श्री सुधांशु कुमार के स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत श्री सुधांशु कुमार के स्पष्टीकरण से सहमत होते हुए सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है।

6. अतएव श्री सुधांशु कुमार, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, भागलपुर सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त, भागलपुर के स्पष्टीकरण को स्वीकार किया जाता है।

7. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री सुधांशु कुमार, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, भागलपुर सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त, भागलपुर को निबंधित डाक से उपलब्ध करायें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(सतीश कुमार शाही)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 6/श्रम वि० आ०(02)–03/2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई. बजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध कराये।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव

sankalp43

ज्ञापांकः– 6/श्रम वि० आ०(02)–03/2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 6/श्रम वि० आ०(02)–03/2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 6/श्रम वि० आ०(02)–03/2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपिः– श्री सुधांशु कुमार, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, भागलपुर सम्प्रति सहायक श्रमायुक्त, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 6/श्रम वि० आ०(02)–03/2017 श्र०सं०–1109 पटना, दिनांक–16/5/2018
प्रतिलिपिः– श्रमायुक्त, बिहार, पटना/विशेष सचिव/अवर सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/लोक सूचना पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–01 एवं 06 (सरकार पक्ष)/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.5.18
सरकार के अवर सचिव
16/5/18